UPPB010058962023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम), जनपद पीलीभीत।
परिवाद सं0 89/2023
दीनदयाल बनाम रोहित आदि।
थाना बरखेड़ा,
जिला पीलीभीत ।

दिनांक : 31.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर परिवादी अनुपस्थिति। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा अपना बयान अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. दिनांक 22.11.2023 को अंकित कराया गया है, तब से पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. में नियत चल रही है। परिवादी को बयान अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. हेतु पूर्व नियत तिथि पर अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है, परन्तु परिवादी द्वारा किसी भी साक्षीगण को अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. में परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी 10 तारीखों से लगातार गैर हाजिर चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी प्रस्तुत परिवाद को चलाने में कोई रूचि नहीं रह गयी है।

अतः प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में अंतर्गत धारा 203 द. प्र.सं. खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में अंतर्गत धारा 203 द.प्र.सं. में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम)
जनपद, पीलीभीत।

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.07.31 16:37:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court